The status of these schemes is as under:

S. No.	Name of sub-Schemes	Year of inclusion under NWMP	Culturable Command Area ('000 ha)	Estimated cost (Rs. Million)	Expd. upto 3/94	Reimbursement recd. by 3/94
1.	Mahanadi Delta stage-I	1992-93	10.2	30.6	3.2	
2.	Delta Stage-II	1992-93	34.6	103.6	4.6	
3.	Salandi.	1990-91	10.0	29.9	7.7	
4.	Roshikulya	1992-93	12.6	37.8	4.5	18.0
5.	Derjang	1992-93	6.0	17.8	3.6	
6.	Salia	1992-93	8.4	25.3	1.3	
7.	Dhanei	1992-93	3.8	11.5	0.3	
8.	Hirakud	1992-93	24.1	84.4	10.7	
	TOTAL (8) :		109.7	340.9	35.9	18.0

बिहार की लंबित पड़ी जलाशय परियोजनाएं

695. **श्री आस मोहम्मद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में हजारीबाग जिले की डेंकाली जलाशय परियोजना, दोनाईकला परियोजना/तिलैयाधाधर परियोजना और साईमन जलाशय परियोजना तथा पलामू जिले की केकदावल जलाशय परियोजना केंद्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किसे लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं की कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) देवकाली जलाशय परियोजना और दोनाईकाला जलाशय परियोजना पर परियोजना रिपोर्टें केंद्रीय जल आयोग में क्रमश: दिसंबर, 1985 और सितंबर, 1985 में प्राप्त हुई थीं। जांच के पश्चात् ये रिपोर्टें क्रमश: नवंबर, 1986 और अगस्त, 1986 में बिहार सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई कि वह केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन में ये परियोजनाएं राज्य सरकार के आठवीं योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई हैं।

तिलैया धाधर परियोजना केंद्रीय जल आयोग में अक्तूबर, 1974 में प्राप्त हुई थी। परामर्शदात्री समिति द्वारा मार्च, 1983 में इस पर विचार किया गया था किंतु अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण इसे आस्थगित रखा गया। बिहार सरकार द्वारा अद्यतन अनुमान सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

साइमन जलाशय परियोजना और केकादावल जलाशय परियोजना के बारे में परियोजना रिपोर्टें केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार

कितनी जल्दी केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और जहां आवश्यक हो पर्यावरण और वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त करती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल-संधि

696. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1994 के दैनिक ट्रिब्यून में "इण्डियाज वाटर ट्रीटी डिस्क्रीमिनेटरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच की गई जल-संधि जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान को पंजाब की नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, विभेदपूर्ण है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या सरकार का देश के उत्तरी भाग में पानी की कमी को देखते हुए, इस संबंध में पाकिस्तान से इस संधि में कतिपय सुधार करने के लिये अनुरोध करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिंधु जल संधि, 1960 पर भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तब से, संधि का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

(घ) ऐसा कोई प्रताव नहीं है।

(ङ) इस पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण

697. **श्री आस मोहम्मद**: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिए बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत 251.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आठवीं योजना में बिहार सहित गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ पूर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था भी की गई है। निधियां निर्मुक्त करना राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग को वार्षिक रूप से किए गये प्रक्षेपण पर निर्भर करता है।

Release of water from Haryana to Delhi

698. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Government requested the Chief Minister of Haryana to release water to Delhi to enable the local authorities in supplying drinking water to the people of Delhi;

(b) whether it is a fact that the meeting of the concerned Chief Ministers took place recently; and